

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3512
सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक)

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए वेतन सीमा में वृद्धि

†3512. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अर्थात् ईएसआई अस्पतालों अथवा औषधालयों में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने हेतु वेतन सीमा को 21,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार इडुक्की में विशेष रूप से बागान क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रमिकों के होने के कारण नेदुमकंडम और कुमिली में ईएसआई औषधालय स्थापित करने पर विचार कर सकती है; और
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के अधीन कवरेज के लिए मजदूरी सीमा में समय-समय पर आवधिक रूप से संशोधन किया जाता है। अंतिम संशोधन दिनांक 01.01.2017 से किया गया था, जिसमें मजदूरी सीमा को 15,000/- रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 21,000/- रुपये प्रति माह (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 25,000/- रुपये) कर दिया गया था।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के प्रावधानों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अधीन समाहित किया गया है, जो दिनांक 21 नवंबर 2025 से लागू हुई है। संहिता की पहली अनुसूची के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से संबंधित अध्याय IV, मौसमी कारखाने को छोड़कर, दस या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रत्येक स्थापन पर लागू होता है।

वर्तमान में, असंगठित कामगार ईएसआईसी ढांचे के अंतर्गत कवर नहीं हैं। यद्यपि, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 45, केंद्र सरकार को असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों तक ईएसआईसी के हितलाभों का विस्तार करने के लिए योजना तैयार करने का अधिकार प्रदान करती है।

इडुक्की जिले के नेदुमकंडम और कुमिली, ईएसआई औषधालय की स्थापना के लिए अपेक्षित न्यूनतम बीमित व्यक्तियों की जनसंख्या से संबंधित निर्धारित ईएसआईसी मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। तदनुसार, वर्तमान में इन स्थानों पर ईएसआई औषधालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
